

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक— 06.11.2025

आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा (महाविद्यालय शाखा) सेवा नियम, 2022 के अन्तर्गत सहायक आचार्य—History प्रतियोगी परीक्षा—2024 के प्रश्न पत्र—प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा का आयोजन दिनांक 12.09.2024 तथा प्रश्न पत्र—तृतीय की परीक्षा का आयोजन दिनांक 08.09.2024 को किया गया।

उक्त लिखित (Objective Type) परीक्षा के परिणामस्वरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4637/2025 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03.07.2025 की पालना में विस्तृत विज्ञापन दिनांक 12.01.2024 में उल्लेखित सम्बन्धित सेवानियमानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पूर्णतः अस्थाई (Purely Provisional) रूप से सफल घोषित किया जाता है—

रोल नम्बर

2026146	2026279	2026442	2027317	2027421	2028551
2029336	2030572	2030688	2031224	2031318	2033635
2036065	2036526	2038257	2039157	2040758	2041296
2042138	2042295	2043756	2045038	2048412	2049282
2050461	2050986	2051055	2051256	2052482	2053612
2054584	2054716	2056842	2057207	2059272	2060383
2061133	2061802	2063968			

TOTAL CANDIDATES:- 39

उपरोक्तानुसार साक्षात्कार हेतु अस्थाई रूप से सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विस्तृत आवेदन पत्र आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भरकर (02 प्रतियों में), समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक, जाति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रति के दिनांक 21.11.2025 तक आवश्यक रूप से आयोग कार्यालय में भिजवा दें।

उक्त अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों के अनुसार किये जाने पर पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जाएगा।

साक्षात्कार की तिथि के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को यथा समय अवगत करवा दिया जाएगा।

CUT OFF MARKS

CATEGORY		CUT OFF MARKS
GEN. (UR)	GEN.	99.74
	GEN. WE	
O.B.C.	GEN.	99.74

HORIZONTAL RESERVATION

CATEGORY		CUT OFF MARKS
PH	B/LV	82.86

नोट:—

आयोग द्वारा जारी किये गये विस्तृत विज्ञापन दिनांक 12.01.2024 में उल्लेखित ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में 05 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 04 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। उक्त 04 अभ्यर्थियों के रोल नम्बर पृथक से आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जा रहे हैं।

(रामनिवास मेहता)
सचिव